उत्तर प्रदेश सूचना आयोग
7/7ए, आर0टी0आई0 भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

(अपील संख्या एस–10–ए–0486/2025)
(रजिस्ट्रार कार्या0–पी–0035/2026)

अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता	प्रतिवादी
श्री अजय कुमार	1. श्री विमलेश कुमार सिंह, अनुभाग अधिकारी, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
(तीन सदस्यीय पीठ) समक्ष : श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, मा0 राज्य सूचना आयुक्त। श्री पदुम नारायण द्विवेदी, मा0 राज्य सूचना आयुक्त। श्री राकेश कुमार, मा0 राज्य सूचना आयुक्त।	

आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार करायी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित हैं। विपक्षी जनसूचना अधिकारी, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ की ओर से श्री विमलेश कुमार सिंह, अनुभाग अधिकारी स्वयं उपस्थित हुए।

आवेदक ने ''उ0प्र0 सूचना का अधिकार नियमावली, 2015'' के नियम–12 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र दिनांक 06.04.2026 इस आशय का प्रस्तुत किया है कि अपील संख्या एस–10–ए–0485/2025 में पारित आदेश दिनांक 17.02.2026 वापस लिया जाए।

उल्लेखनीय है कि उक्त अर्थदण्ड आदेश दिनांक 17.02.2026 पीठासीन अधिकारी, श्री राकेश कुमार (मा0 राज्य सूचना आयुक्त) द्वारा पारित किया गया है, इसलिए आवेदक के आदेश वापसी प्रार्थना पत्र पर निर्णय लेने के लिए पीठासीन अधिकारी, श्री राकेश कुमार (मा0 राज्य सूचना आयुक्त) को पीठ में सम्मिलित किए जाने हेतु मा0 मुख्य सूचना आयुक्त महोदय को पत्र प्रेषित किया गया।

उक्त पत्र पर मा0 मुख्य सूचना आयुक्त ने टीप दिनांक 13.07.2026 के माध्यम से श्री राकेश कुमार, मा0 राज्य सूचना आयुक्त को पीठ में सम्मिलित करने की अनुमति प्रदान की है। मा0 मुख्य सूचना आयुक्त की टीप दिनांक 13.07.2026 के अनुपालन में तीन सदस्यीय पीठ गठित की जाती है। प्रकरण सुनवाई हेतु दिनांक 17.08.2026 को प्रस्तुत हो।

(वीरेन्द्र प्रताप सिंह) राज्य सूचना आयुक्त 20.07.2026	(पदुम नारायण द्विवेदी) राज्य सूचना आयुक्त 20.07.2026	(राकेश कुमार) राज्य सूचना आयुक्त 20.07.2026

यह आदेश
दिनांक 04/00
को अपलोड किया गया।

Scanned with OKEN Scanner